Rule 43 : Manner of determination of input tax credit in respect of capital goods and reversal thereof in certain cases

(1) Subject to the provisions of sub-section (3) of section 16, the input tax credit in respect of capital goods, which attract the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 17, being partly used for the purposes of business and partly for other purposes, or partly used for effecting taxable supplies including zero rated supplies and partly for effecting exempt supplies, shall be attributed to the purposes of business or for effecting taxable supplies in the following manner, namely,-

(a) the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for non-business purposes or used or intended to be used exclusively for effecting exempt supplies shall be indicated in [1]**[**** [2]FORM GSTR-3B]** and shall not be credited to his electronic credit ledger;

(b) the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted supplies but including zero-rated supplies shall be indicated in [3]**[****] [4]FORM GSTR-3B]** and shall be credited to the electronic credit ledger;

[5]**[Explanation**–For the purpose of this clause, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the said Act, the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted supplies but including zero rated supplies, shall be zero during the construction phase because capital goods will be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of

---

1 Omitted "**FORM GSTR-2** [A][and" by Noti. No. 19/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

A Inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

2 Inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

3 Omitted "**FORM GSTR-2** [A]**[**and" by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022**.**

A Inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

4 Inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 **w**.e.f. 01-04-2019.

5 Explanation inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date.**]**

[6]**[(c)** the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A, being the amount of tax as reflected on the invoice, shall credit directly to the electronic credit ledger and the validity of the useful life of such goods shall extend upto five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, input tax in respect of such capital goods denoted as 'A' shall be credited to the electronic credit ledger subject to the condition that the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered by clause (a), denoted as 'T_{ie}', shall be calculated at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed:

Provided further that the amount 'T_{ie}' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in **FORM GSTR-3B**.

Explanation-An item of capital goods declared under clause (a)

---

6 Clause (c) alongwith proviso and explanation substituted by Noti. No. 16/2020– Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 01-04-2020. Earlier to substitution it read as under:

"**(c)** the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A', shall be credited to the electronic credit ledger and the useful life of such goods shall be taken as five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, the value of 'A' shall be arrived at by reducing the input tax at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and the amount 'A' shall be credited to the electronic credit ledger;

Explanation: An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause."

on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause;**]**

[7]**[(d)** the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c) in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period, to be denoted as 'T_c', shall be the common credit in respect of such capital goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) are subsequently covered under clause (c), the input tax credit claimed in respect of such capital goods shall be added to arrive at the aggregate value 'T_c';**]**

(e) the amount of input tax credit attributable to a tax period on common capital goods during their useful life, be denoted as 'T_m' and calculated as:-

$$T_m = T_c \div 60$$

[8]**[Explanation**–For the removal of doubt, it is clarified that useful life of any capital goods shall be considered as five years from the date of invoice and the said formula shall be applicable during the useful life of the said capital goods.**]**

(f) [9]**[********]**

(g) the amount of common credit attributable towards exempted

---

7 Clause (d) along with proviso substituted by Noti. No. 16/2020– Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 01-04-2020. Earlier to substitution it read as under:

"**(d)** the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c), to be denoted as 'T_c', shall be the common credit in respect of capital goods for a tax period:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) is subsequently covered under clause (c), the value of 'A' arrived at by reducing the input tax at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof shall be added to the aggregate value 'T_c';"

8 Explanation inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 01- 04-2020.

9 Clause (f) omitted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 01-04-2020. Earlier to omission it read as under:

"**(f)** the amount of input tax credit, at the beginning of a tax period, on all common capital goods whose useful life remains during the tax period, be denoted as 'T_r' and shall be the aggregate of 'T_m' for all such capital goods;"

supplies, be denoted as 'T_e', and calculated as:

$$T_e = (E \div F) \times T_r$$

where,

'E' is the aggregate value of exempt supplies, made, during the tax period, and

'F' is the total turnover [10]**[**in the State**]** of the registered person during the tax period:

[11]**[Provided** that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the value of "E/F" for a tax period shall be calculated for each project separately, taking value of E and F as under:

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but are identified by the promoter to be sold after issue of completion certificate or first occupation, whichever is earlier;

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

Explanation 1.–In the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartments, which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier.

Explanation 2.–Carpet area of apartments, tax on construction of which is paid or payable at the rates specified for items (i), (ia), (ib), (ic) or (id), against serial number 3 of the Table in notification No. 11/2017-Central Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 28th June, 2017 *vide* GSR No. 690 (E) dated 28th June, 2017, as amended, shall be taken into account for calculation of value of "E" in view of Explanation (iv) in paragraph 4 of the notification No. 11/2017-Central Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 28th June, 2017 *vide* GSR No. 690 (E) dated 28th June,

10 Inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

11 Proviso and explanations inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

2017, as amended.**]**

[12]**[Provided further]** that where the registered person does not have any turnover during the said tax period or the aforesaid information is not available, the value of 'E/F' shall be calculated by taking values of 'E' and 'F' of the last tax period for which the details of such turnover are available, previous to the month during which the said value of 'E/F' is to be calculated;

Explanation–For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies and the total turnover shall exclude the amount of any duty or tax levied under entry 84 [13]**[**and entry 92A**]** of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule;

(h) the amount T_e along with applicable interest shall, during every tax period of the useful life of the concerned capital goods, be added to the output tax liability of the person making such claim of credit.

[14]**[(i)** The amount T_e shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in **FORM GSTR-3B**.**]**

[15]**[(2)** In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of schedule II of the Act, the amount of common credit attributable towards exempted supplies (T_e^{final}) shall be calculated finally for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, for each project separately, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first

---

12 Substituted for "Provided" by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

13 Inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

14 Clause (i) inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

15 Sub-rule (2) substituted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019. Earlier to substitution it read as under:

"**(2)** The amount T_e shall be computed separately for central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax."

occupation takes place of the project, as under:

$$T_e^{final} = [(E_1 + E_2 + E_3) / F] \times T_c^{final},$$

Where,-

E_1= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax

E_2= aggregate carpet area of the apartments, supply of which is partly exempt and partly taxable, consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019, which shall be calculated as under, -

E_2= [Carpet area of such apartments] x $[V_1/ (V_1+V_2)]$,-

Where,-

V_1 is the total value of supply of such apartments which was exempt from tax; and

V_2 is the total value of supply of such apartments which was taxable

E_3= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier:

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

T_c^{final} = aggregate of A^{final} in respect of all capital goods used in the project and A^{final} for each capital goods shall be calculated as under,

A^{final}= A x (number of months for which capital goods is used for the project/60)

and,-

(a) where value of T_e^{final} exceeds the aggregate of amounts of T_e determined for each tax period under sub-rule (1), such excess shall be reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or

(b) where aggregate of amounts of T_e determined for each tax period under sub-rule (1) exceeds T_e^{final}, such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a

month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

Explanation-For the purpose of calculation of T_c^{final}, part of the month shall be treated as one complete month.

(3) The amount T_e^{final} and T_c^{final} shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.

(4) Where any capital goods are used for more than one project, input tax credit with respect to such capital goods shall be assigned to each project on a reasonable basis and credit reversal pertaining to each project shall be carried out as per sub-rule (2).

(5) Where any capital goods used for the project have their useful life remaining on the completion of the project, input tax credit attributable to the remaining life shall be availed in the project in which the capital goods is further used**]**

[16]**[Explanation** [17]**[1].**–For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude:-

(a) [18]**[*******]**

---

16 Explanation substituted by Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-01-2018. Earlier to substitution it read as under:

"[A]**[Explanation :** For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 1338(E) dated the 27th October, 2017"

A Earlier inserted by Noti No. 55/2017–Central Tax, dt. 15-11-2017 w.e.f. 15-11-2017.

17 Explanation re-numbered as Explanation 1 by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f 01-04-2019.

18 Clause (a) omitted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019. Earlier to omission it read as under:

"**(a)** the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 1338(E) dated the 27th October, 2017;"

(b) the value of services by way of accepting deposits, extending loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, except in case of a banking company or a financial institution including a non-banking financial company, engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances; and

(c) the value of supply of services by way of transportation of goods by a vessel from the customs station of clearance in India to a place outside India.

[19]**[(d)** the value of supply of Duty Credit Scrips specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 35/2017-Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 1284(E), dated the 13thOctober, 2017.**]**

[20]**[Explanation 2.**–For the purposes of rule 42 and this rule,-

(i) the term "apartment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(ii) the term "project" shall mean a real estate project or a residential real estate project;

(iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(iv) the term "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP;

(v) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(vi) "Residential apartment" shall mean an apartment intended for residential use as declared to the Real Estate Regulatory Authority or to competent authority;

---

19 Clause (d) inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

20 Explanation 2 inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

(vii) "Commercial apartment" shall mean an apartment other than a residential apartment;

(viii) the term "competent authority" as mentioned in definition of "residential apartment", means the local authority or any authority created or established under any law for the time being in force by the Central Government or State Government or Union Territory Government, which exercises authority over land under its jurisdiction, and has powers to give permission for development of such immovable property;

(ix) the term "Real Estate Regulatory Authority" shall mean the Authority established under sub-section (1) of section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016) by the Central Government or State Government;

(x) the term "carpet area" shall have the same meaning assigned to it in in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(xi) "an apartment booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project" shall mean an apartment which meets all the following three conditions, namely-

(a) part of supply of construction of the apartment service has time of supply on or before the said date; and

(b) consideration equal to at least one installment has been credited to the bank account of the registered person on or before the said date; and

(c) an allotment letter or sale agreement or any other similar document evidencing booking of the apartment has been issued on or before the said date.

(xii) The term "ongoing project" shall have the same meaning as assigned to it in notification No. 11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published vide GSR No. 690(E) dated the 28th June, 2017, as amended;

(xiii) The term "project which commences on or after 1st April, 2019" shall have the same meaning as assigned to it in notification No. 11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published vide GSR No. 690(E) dated the 28th June, 2017, as amended.**]**

नियम 43 : पूंजी माल और कतिपय मामलों में उसके विपर्यन के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति

(1) धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, जिसे धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागतः उपयोग कारबार के प्रयोजन के लिए और भागतः उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या भागतः उपयोग शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए और भागतः प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, निम्नलिखित रीति में कारबार के प्रयोजनों के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) गैर कारबारी प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम को [1]**[......**[2]**फार्म जीएसटीआर–3ख]** में उपदर्शित किया जाएगा और उसे उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा नहीं किया जाएगा ;

(ख) छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किन्तु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए प्रयुक्त या अनन्य रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम [3]**[......**[4]**फॉर्म जीएसटीआर–3ख]** में उपदर्शित की जाएगी और उसे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा;

[5]**[स्पष्टीकरण** – इस उपवाक्य के उद्देश्य के लिए एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट टैक्स की राशि जिसका उपयोग विशेष रूप से या रियायती आपूर्ति से भिन्न अन्य आपूर्ति प्रभावित करने के लिए जिसमें शून्य रेटेड आपूर्ति आती है, उपयोग निर्माण चरण के दौरान शून्य होगा, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा, जो भी पहले हो, से पहले बुक किए गए अपार्टमेंट के निर्माण के लिए तथा जिन्हें उक्त तिथि तक बुक नहीं किया गया हो के लिए समान तौर पर किया जाएगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द, अक्षर और अंक ''**प्ररूप जीएसटीआर–02** [A][और'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

A अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द, अक्षर और अंक ''**प्ररूप जीएसटीआर–02** में बीजक स्तर पर और'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

A अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

4 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

5 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

[6][(ग) 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के सम्बन्ध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम, बीजक में परिलक्षित टैक्स की राशि होने के नाते, को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जायेगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगा :

परन्तु जहां कोई पूंजी माल खंड (क) के अधीन पूर्वतन आया है इस खंड के अधीन तत्पश्चात् आयेगा 'क' के अनुसार उल्लिखित ऐसे पूंजी मालों के संबंध में निवेश कर इस शर्त के अधीन इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में जमा की जाएगी, ऐसी पूंजी माल के दौरान अवधि के लिए अपात्र प्रत्यय मानते हुए 'टीआईई' के रूप में उल्लिखित खंड (क) के अंतर्गत आते थे प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत् अंकों की दर पर परिकलित किया जाएगा और कर अवधि जिसमें ऐसे प्रत्यय का दावा किया गया है, के निर्गम कर दायित्व को सम्मिलित करेगा :

परन्तु यह कि रकम '$टी_{आईई}$' केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और समाकलित कर के निवेश कर प्रत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में घोषित् की जाएगी;

स्पष्टीकरण–खंड (क) के अधीन घोषित् पूंजी माल की किसी मद को, उसकी प्राप्ति पर धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि वह पहले इस खंड के अंतर्गत आती है।

[7][(घ) 'क' की रकम का संकलित प्रत्यय सामान्य पूंजी माल के संबंध में खंड 'ग' के अधीन इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता जमा किया गया, जिसका उपयोग कर अवधि के दौरान तो है, जो कि ''$टी_{सी}$'' के रूप में निरूपित किया जाता है, ऐसी पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगा :

---

6 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा खंड (ग) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''**(ग)** 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक की तारीख से पांच वर्ष होगा :

परन्तु जहां ऐसे पूंजी माल, जो पहले खंड (क) के अधीन आते थे, बाद में इस खंड के अधीन आते हैं, वहां 'ए' का मूल्य प्रत्येक तीस मास के लिए या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत् पाइंट की दर पर इनपुट कर को घटाकर प्राप्त किया जाएगा और 'ए' की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;

स्पष्टीकरण : खण्ड (क) के अधीन घोषित पूंजी माल की किसी मद को, उसकी प्राप्ति पर धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि वह पहले इस खंड के अंतर्गत आती है।''

7 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा खंड (घ) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(घ)** '$टी_{सी}$' के रूप में द्योतक खंड (ग) के अधीन इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की गई 'ए' की संकलित रकमें किसी कर अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होंगी :

परन्तु जहां कोई ऐसा पूंजी माल, जो पहले खंड (ख) के अंतर्गत आता है, वहां प्रत्येक तीन मास या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत् पाइंट की दर पर इनपुट कर को कम करके प्राप्त 'ए' के मूल्य को '$टी_{सी}$' के संकलित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा;"

परन्तु जहां कोई पूंजी माल खंड (ख) के अधीन पहले से ही आच्छादित है, वह खंड (ग) के अधीन पश्चात्वर्ती आच्छादित था ऐसी पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रत्यय मांग समाकलित मूल्य 'टी$_{सी}$' पर जोड़ा जाएगा ;**]**

(ड.) सामान्य पूंजी माल पर उसके उपयोगी जीवन के दौरान किसी कर अवधि के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'टी$_{एम}$' के रूप में द्योतक होगी ओर उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,–

$$टी_{एम} = टी_{सी} \div 60$$

[8]**[स्पष्टीकरण**–संदेह का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पूंजी माल का उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया जाएगा और उक्त सुत्र, उक्त पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा।**]**

(च) [9]**[……]**

(छ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय समान प्रत्यय की रकम 'टी$_{ई}$' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,–

$$टी_{ई} = (ई \div एफ) \times टी_{आर}$$

जहां,–

'ई' कर अवधि के दौरान किए गए छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य है, और

'एफ' कर अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का [10][राज्य में] कुल आवर्त है :

[11]**[बशर्ते** अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के लिए, कर अवधि के लिए 'E/F' के मूल्य की गणना प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग से की जाएगी, E और F का मान्य इस प्रकार है :

E = अपार्टमेंट का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है, लेकिन जिसे प्रोजेक्ट के पूरा होने के प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, तक बुक नहीं किया गया है;

F = प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र;

---

8 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)।

9 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा खंड (च) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

(च) ऐसे सभी सामान्य पूंजी माल पर, जिसका उपयोगी जीवन कर अवधि के दौरान अतिशेष है, कर अवधि के प्रारंभ पर इनपुट कर प्रत्यय की रकम टी$_{आर}$ के रूप में द्योतक होगी और वह सभी पूंजी माल के लिए संकलित 'टी$_{एम}$' होगी;

10 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

11 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण सहित परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

स्पष्टीकरण 1.–कर अवधि में, जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे में होना, E के मूल्य में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र भी शामिल होगा, जो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है या प्रोजेक्ट पर पहला कब्जा हो गया हो, जो भी पहले हो;

स्पष्टीकरण 2.–अधिसूचना सं. 11/2017–केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (iv) की दृष्टि से ''E'' के मूल्य की गणना में उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया जाएगाा जिसके निर्माण पर अधिसूचना सं. 11/2017–केन्द्रीय कर (दर), यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी के क्रम सं. 3 के समक्ष मद (i), (ia), (ib), (ic) या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।

[12]**[परन्तु** यह कि**]** जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास से पहले की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, उस अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, 'ई' और 'एफ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी ;

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 [13]**[**और प्रविष्टि 92क**]** और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्‌गृहीत शुल्क या कर की रकम को अपवर्जित किया जाएगा;

(ज) संबंधित पूंजी माल के उपयोगी जीवन की प्रत्येक कर अवधि के दौरान लागू ब्याज के साथ रकम 'टीई' को, प्रत्यय का ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा;

[14]**[(झ)** 'टीई' की गणना केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग से की जाएगी और **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में घोषित् की जाएगी।**]**

---

12 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

13 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

14 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा खंड (झ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

[15][(2) अधिनियम की अनुसूची II के पैरा (5) के अंतर्गत की गई सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, छूट दी गई आपूर्ति (T_e^{final})के लिए सामान्य क्रेडिट की राशि की गणना प्रोजेक्ट के शुरू होने से पूरी अवधि के लिये या 01.07.2017, जो भी बाद में हो से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग–अलग, वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितम्बर के महीने के लिए रिटर्न की प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पहले जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है या पहला कब्जा निम्नानुसार अंतिम रूप से की जाएगी :

$$T_e^{\ final} = [(E_1 + E_3/F] \ X \ T_c^{final},$$

जहां,–

E_1 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त है

E_2 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसकी आपूर्ति आंशिक रूप से छूट और आंशिक रूप से कर योग्य है, परिणामस्परूप 01.04.2019 को कर की दरों में परिवर्तन किया जाएगा, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी,–

E_2 = [ऐसे अपार्टमेंट का कालीन क्षेत्र] $x [V_1/(V_1 + V_2)]$,–

जहां,–

V_1 = ऐसे अपार्टमेंट की आपूर्ति का कुल मूल्य है जो कर से मुक्त था; तथा

V_2 = ऐसे अपार्टमेंट की आपूर्ति का कुल मूल्य है जो कर योग्य था

E_3 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, लेकिन पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो;

F = प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट के कुल कालीन क्षेत्र;

T_c^{final} = प्रोजेक्ट में प्रयुक्त सभी पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में A_{final} का समुच्चय और प्रत्येक पूंजीगत वस्तुओं के लिए A_{final} की गणना निम्नानुसार होगी,

A^{final} = A x (जितने महीनों के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा / 60)

तथा,–

(क) जहां T_e^{final} का मूल्य उप–नियम (1) के तहत् प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्धारित T_e की मात्रा से अधिक है, इस तरह की अधिकता महीने के बाद में महीने में पंजीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व सितम्बर के बाद नहीं जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या

15 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर उपनियम (2), (3), (4) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(2) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के लिए रकम टीई की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी।"

पहली कब्जा प्रोजेक्ट की जगह लेता है और उक्त व्यक्ति धारा 50 उप–धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। भुगतान की तारीख अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से आरम्भ होगी; या

(ख) जहां उप–नियम (1) के तहत् प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्धारित से की मात्राओं का एकत्रीकरण T_e^{final} से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में एक महीने के लिए कर सकेगा, जो कि जो बाद के सितम्बर महीने के बाद नहीं होगा। वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट पर पहला कब्जा हो गया हो।

स्पष्टीकरण – T_c^{final} की गणना के प्रयोजन से, महीने का हिस्सा एक पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

(3) केन्द्रीय टैक्स, राज्य कर, केन्द्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए T_e^{final} और T_c^{final} सभी की अलग से गणना की जानी चाहिए।

(4) जहां किसी भी पूंजीगत सामान का उपयोग एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे पूंजीगत सामान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक प्रोजेक्ट को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित क्रेडिट उत्क्रमण उप–नियम (2) के अनुसार किया जाएगा।

(5) जहां प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किए गए किसी भी पूंजीगत सामान का उपयोग प्रोजेक्ट के पूरा होने पर शेष रहता है, शेष जीवन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उस प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का आगे भी उपयोग किया जाता है।**]**

[16]**[स्पष्टीकरण** [17]**[1].**–नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्टीकृत किया जाता है कि छूट प्राप्त आपूर्ति के संकलित मूल्य में निम्नलिखित अपवर्जित होगा :

(क) [18]**[......]**

---

16 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.01.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"[A]**[स्पष्टीकरण :** नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1338 (अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 42/2017–एकीकृत कर, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।"

A पहले यह स्पष्टीकरण अधिसूचना क्रमांक 55/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा अंतःस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 15.11.2017)।

17 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण पुनःक्रमांकित स्पष्टीकरण 1 (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

18 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा खण्ड (क) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(क)** भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1338 (अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 42/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 27.10.2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य;"

(ख) निक्षेपों को स्वीकारने द्वारा, ऋण या अग्रिम का विस्तार, जहां तक कि प्रतिफल ब्याज या छूट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय बैकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था जिसके अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो निक्षेप स्वीकारने, ऋणों या अग्रिमों के विस्तार द्वारा सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए है, भी है, सेवाओं का मूल्य; और

(ग) भारत के सीमाशुल्क स्टेशन निकासी से भारत के बाहर किसी स्थान पर जलयान द्वारा माल के परिवहन द्वारा सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य।

[19][(घ) भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खंड– 3, उपखंड (I) में सा.का.नि. 1284(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 35/2017 केंद्रीय कर (दर) में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रत्यय पावती पत्र के प्रदाय का मूल्य;]

[20]**[स्पष्टीकरण 2.**–नियम 42 और इस नियम के लिए,–

(i) ''अपार्टमेंट'', शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनिमय, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) ''प्रोजेक्ट'' शब्द का अर्थ रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट या आवासीय रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट होगा।

(iii) ''रीयल ऐस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी)'' शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(iv) ''आवासीय रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी)'' शब्द का अर्थ एक आरईपी होगा, जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमेंट के कार्पेट क्षेत्र आरईपी में सभी अपार्टमेंट के कुल कार्पेट क्षेत्र का 15% से अधिक नहीं है।

(v) ''प्रवर्तक (प्रमोटर)'' शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(vi) ''आवासीय अपार्टमेंट'' शब्द का अर्थ आवासीय उपयोग के लिए अभिप्रेत अपार्टमेंट जैसा कि रेरा या सक्षम प्राधिकारी को घोषित् किया गया है।

(vii) ''वाणिज्यिक अपार्टमेंट'' का अर्थ वही होगा जो कि आवासीय अपार्टमेंट से भिन्न एक अपार्टमेंट होगा;

(viii) ''सक्षम प्राधिकारी'' की परिभाषा ''आवासीय अपार्टमेंट'' में दिखाई देती है, से अभिप्रायः ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी से है जिसका सृजन या स्थापना ऐसे किसी कानून के अंतर्गत की गयी हो जो उस समय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के द्वारा लागू किये गये हों, और जो कि अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे

---

19 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खंड (घ) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

20 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

भू–खण्ड पर प्राधिकार रखता हो और जिसको ऐसे अचल संपत्ति पर डेवलपमेंट कार्य की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त हो।

(ix) ''रीयल एस्टेट विनयामक प्राधिकरण'' शब्द का अर्थ केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 16) की धारा 20(1) के तहत् स्थापित प्राधिकरण होगा।

(x) ''कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया)'' शब्द का अर्थ वही है जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(xi) ''एक अपार्टमेंट जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर बुक किया गया हो या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे'' का मतलब होगा एक अपार्टमेंट जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तों को पूरा करता हो, यथा –

(क) अपार्टमेंट सेवा के निर्माण की आपूर्ति का हिस्सा उक्त तिथि को या उससे पहले आपूर्ति का समय है; तथा

(ख) उक्त तिथि को या उससे पहले पंजीकृत व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम एक किस्त के बराबर की राशि जमा करवा दी गई हो;

(ग) उक्त तिथि को अथवा उससे पहले आबंटन पत्र या बिक्री समझौते या अपार्टमेंट के किसी अन्य समान दस्तावेज की साक्ष्य बुकिंग जारी कर दी गई हो।

(xii) शब्द ''चल रही प्रोजेक्ट'' शब्दावली का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 11/2017–केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. सं. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत् प्रकाशित किया गया था, में दिया गया हो।

(xiii) ''01.04.2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली प्रोजेक्ट'' शब्दावली का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 11/2017–केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत् प्रकाशित किया गया था, में दिया गया हो।]